अध्याय-5
मजदूरी

प्रस्तावना

5.1 यद्यपि भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एकसमान तथा व्यापक मजदूरी नीति नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी का निर्धारण तथा उनके प्रवर्तन के लिए तंत्र विद्यमान हैं। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में, जहां अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी के अभाव में श्रम का शोषण किया जा सकता है, वहां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है। अधिनियम नियोक्ताओं को समय-समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 आठवीं स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए 11.4.1946 को केन्द्रीय विधायी परिषद में न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया। न्यूनतम मजदूरी विधेयक भारतीय डोमिनियन विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया तथा 15 मार्च, 1948 से प्रवृत्त हुआ। अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात् परिवर्ती महंगाई भत्ता जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अक्तूबर में अर्थात वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा छब्बीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशल कर्मकारों के संबंध में निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें **सारणी 5.1** में दर्शाई गई हैं।

राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी

5.3 1985 में आयोजित 28वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि

राष्ट्रीय मूल निर्वाह मजदूरी स्तर को बढ़ाया जाए और उससे कम मजदूरी निर्धारित न की जाए चाहे कार्य प्रकृति, नियोजन प्रकृति तथा अन्य कारक अलग-अलग ही क्यों न हों। न्यूनतम मजदूरी में असमानता के कारण केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी की धारणा अपनाई तथा इसे 1996 से 35 रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित किया जो कि 1991 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा मूल्य-स्तर में अनुवर्ती वृद्धि पर आधारित था।

5.4 बढ़ते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की थी, जिसे बढ़ाकर 1.12.1999 से 45 रुपये और 1.9.2002 से 45 रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1.02.2004 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 66/- प्रतिदिन कर दिया गया है । माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की निर्धारित/संशोधित दरें रु. 66/- प्रतिदिन से कम न रहें ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.5 यू पी ए सरकार फार्म में कार्य करने वाले श्रमिकों और कामगारों, खासकर असंगठित क्षेत्र में, कल्याण तथा भलाई में वृद्धि करने एवं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से किया जाता है । के.औ.सं.तं (सी आई आर एम) द्वारा प्रवर्तन के मामलों की स्थिति **सारणी 5.2** में दर्शाई गयी है ।

5.6 राज्य क्षेत्र में राज्य के औद्योगिक संबंध तंत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्त्तन सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्त्तन की मॉनीटरिंग की प्रगति रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 2005-2006 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्त्तन की स्थिति संबंधी **तालिका 5.3** में दर्शायी गई है ।

5.7 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हुए और क्षेत्रीय समिति की बैठकों का आयोजन करते हुए लगातार पारस्परिक संपर्क बनाए रखा जाता है। उत्तरी क्षेत्र के लिए 19.4.2006 को चंडीगढ़

और 28.9.2006 को अमृतसर (पंजाब), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 6.7.2006 को गोवाहाटी (असम), दक्षिण क्षेत्र के लिए 28.6.2006 को तिरूपति (आं प्रदेश), पूर्वी क्षेत्र के लिए 23.9.2006 को रांची (सारखंड) और पश्चिमी क्षेत्र के लिए 5.10.2006 को पंजिम (गोवा) में बैठकों का आयोजन किया गया।

5.8 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को पिछली बार वर्ष 1946 में संशोधित किया गया था और कुछ संशोधन सरकार के विचाराधीन है। जिन पर 9 और 10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र में चर्चा की गई थी। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अधिदेशाधीन के अनुसार मतैक्य लाने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में आगे विचार-विमर्श किया जायेगा।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.8 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी को विनियमित करने तथा उनके लिए अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत मजदूरी सीमा 1982 में 1600/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के लिए मजदूरी की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 6500/- रुपये प्रतिमाह करने तथा भविष्य में अधिसूचना के माध्यम से उच्चतम सीमा में वृद्धि करने तथा दांडिक उपबंधों आदि में बढ़ोत्तरी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए, मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005; जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया था, विधि एवं न्याय मंत्रालय की 6.9.2005 को 2005 के अधिनियम 41 के रूप में अधिसूचित कर दिया है। तत्पश्चात्, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सां.आ. 1577 (अ) द्वारा मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 9 नवम्बर, 2005 से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की है।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

5.10 श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 9 और 13 ग में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें

निर्धारित या संशोधित करने के लिए दो मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं ः

(क) **समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले** तीन **व्यक्ति**;

(ख) **अधिनियम की धारा** 9 **के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिये कर्यरत पत्रकारों के** 3 **प्रतिनिधि और धारा** 13 **ग के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के लिए गैर-पत्रकार समाचार पत्र के कर्मचारियों के** 3 **प्रतिनिधि**

(ग) चार **निर्दलीय व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और जिसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए ।**

5.11 मजदूरी बोर्ड के गठन के लिए अधिनियम में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हैं । सरकार ने सितम्बर, 1994 में न्यायमूर्त्ति राजकुमार मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया-उनमें से एक कार्यरत पत्रकारों के लिए और दूसरा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए था । मजदूरी बोर्डों ने 25.7.2000 को अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को पेश की । सरकार ने इन सिफारिशों के कुछ गौण संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और सरकार के निर्णयों को भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः 5.12.2000 तथा 15.12.2000 को अधिसूचित किया गया थां । तथापि, सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है ।

15.12 सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा गया है।

- **पंचाटों के क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठों का गठन ।**
- **क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु त्रिपक्षीय मॉनीटरिंग समिति का गठन।**
- **सिफारिशों के तत्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाना।**
- **31.3.2001 को समाप्त तिमाही को सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।**

5.13 सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति का गठन भी किया गया है । समिति के अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) शामिल हैं और मंत्रालय में प्रभारी निदेशक, मजदूरी बोर्ड अनुभाग, सदस्य सचिव हैं।

5.14 समिति की दिनांक 8.3.2002, 13.11.2002, 06.06.2003, 28.1.2004 और 11.08.2005 को पांच बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें यह निर्णय लिया गया कि पंचाटों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) अपने क्षेत्रीय श्रमायुक्तों के माध्यम से राज्य सरकारों के संपर्क में रहें, जिससे कि इनके अनुपालन में व्यापक सुधार हो । यह निर्णय भी लिया गया है कि केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति उन राज्यों का दौरा करेंगी जहाँ पंचाटों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है। पंचाटों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्तर की एक मानीटरिंग समिति ने 10-12 जुलाई, 2003 को असम के गुवाहाटी, उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा पश्चिम बंगाल में कोलकाता 26-29 अक्टूबर, 2005 को मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर और 4-6 जनवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, 2-3 मार्च, 2006 को राजस्थान में जयपुर और 10-14 मार्च, 2006 को कर्नाटक में बेंगलूर और केरल में तिरूवंतपुरम का दौरा किया था ।

, 2-3 मार्च, 2006 को राजस्थान में जयपुर और 10-14 मार्च, 2006 को कर्नाटक में बेंगलूर और केरल में तिरूवंतपुरम का दौरा किया था ।

5.15 केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक 1507 के लगभग समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से सूचना प्राप्त हुई है। 1507 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 423 (28.06%) ने पूरी तरह से और 148 (9.82%) ने आंशिक रूप से पंचाट को क्रियान्वित किया है । 936 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (62.11%) ने अभी तक मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है । 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेज रहे हैं। 4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद तिमाही प्रगति रिपोर्टें बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होती क्योंकि या तो वहाँ पर कोई भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं हैं या समाचार पत्र प्रतिष्ठान बहुत छोटे हैं। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया है। मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के गठन और मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफरिशों के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट के राज्य-वार विवरण **सारणी 5.4** में दर्शाए गए हैं।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.16 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में 20 अथवा अधिक व्यक्तियों के किसी कारखाने एवं प्रतिष्ठान में नियोजित होने पर कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था है ।

5.17 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-2 के खण्ड (13) में प्रत्येक कर्मचारी को बोनस भुगतान करने का प्रावधान है, जिसकी वेतन/मजदूरी किसी भी उद्योग में 3500/- रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, बशर्त्ते कि उसने उस वर्ष में न्यूनतम 30 कार्य दिवसों तक अवश्य कार्य किया हो। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-12 में गणना के लिए मौजूदा 2500/- रूपये की उच्चतम सीमा की व्यवस्था है, जिसका अर्थ यह है कि बोनस प्राप्त करने के पात्र कर्मचारियों के बोनस की गणना तभी की जाएगी जब उनका प्रतिमाह वेतन/मजदूरी 2500/- रूपये हो ।

5.18 इस अधिनियम की धारा-2 खण्ड (13) और धारा-12 के अंतर्गत क्रमशः पात्रता एवं गणना की उच्चतम सीमा को आखिरी बार 9 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के माध्यम से परिशोधित किया गया था तथा इसे 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी बनाया गया ।

5.19 इस अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग एवं प्रतिष्ठान द्वारा देय न्यूनतम बोनस 8.33 % है । इस अधिनियम की धारा-31 **क** के अंतर्गत किसी लेखा वर्ष में उत्पादकता जुड़ा बोनस सहित, अधिकतम बोनस 20 % से अधिक नहीं दिया जा सकता ।

5.20 बोनस अधिनियम, 1965, जिसमें द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पात्रता सीमा को 3500/- रूपये से बढ़ाकर 7500/- रूपये करने तथा गणना की सीमा को 2500/- रूपये से बढ़ाकर 3500/- रूपये करने का एक प्रस्ताव सभी संबंधितों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु सरकार के पास विचाराधीन है ।

****

		सारणी 5.1
भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी		
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
	केन्द्रीय क्षेत्र	66-115
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आं प्रदेश	45.00-128.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	55.00-57.00
3.	असम	48.00-97.00
4.	बिहार	66.00-75.00
5.	छतीसगढ़	52.87-79.13
6.	गोवा	75.00-94.00
7.	गुजरात	50.00-99.00
8.	हरियाणा	94.00-95.00
9.	हिमाचल प्रदेश	70.00
10.	जम्मू और कश्मीर	66.00
11.	झारखंड	50.06-77.57
12.	कर्नाटक	63.00-103.00
13	केरल	72.00-189.00
14.	मध्य प्रदेश	61.37-94.13
15.	महाराष्ट्र	45.00-155.22
16.	मणिपुर	69.55-72.40
17.	मेघालय	70.00
18.	मिजोरम	91.00
19.	नागालैंड	66-00-70.00
20.	उड़ीसा	55.00
21.	पंजाब	90.44-94.24
22.	राजस्थान	73.00-82.00
23.	सिक्किम	85.00
24.	तमिलनाडु	54.44-150.00

25.	त्रिपुरा	**51.35-65.77**
26.	उत्तर प्रदेश	**58.00-104.41**
27.	उत्तरांचल	**61.61-97.00**
28.	पश्चिम बंगाल	**64.22-125.00**
29.	अंडमान और निकोबार	**100.00-107.00**
30.	चंडीगढ़	**114.00**
31.	दादरा और नगर हवेली Ò	**91.00**
32.	दमन और दीव	**80.00**
33.	दिल्ली	**127.38**
34.	लक्षद्वीव	**70.00**
35.	पांडिचेरी	**45.00 -124.00**

सारणी 5.2

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) द्वारा वर्ष 2005-2006 के दौरान मजदूरी कानूनों के उपबंधों का प्रवर्तन

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम		किए गए निरीक्षणों की संख्या	परिशोधित अनियमितताएं	चलाए गए अभियोजन	कितने दोष सिद्ध किए गए	दायर किए गए दावे
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936						
	क)	खानें	3084	47805	1410	1261	9
	ख)	रेलवे	1082	7178	13	0	0
	ग)	हवाई परिवहन	118	770	22	18	0
2	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948		12392	140307	4620	4616	2208

सारणी – 5.3

2005-06 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन के संबंध में विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		Òअभियोजन मामले			दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि (रुपये हजार में)	जुर्माने की राशि (रुपये हजार में)	
			पता चली	सुधारी किये गयीं	दायर किए गए	निपटाये गये	लंबित	दायर किये गये	Òनिर्णीत		लगाया गया	वसूल किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	गुजरात	114327	74554	60714	14	4	30744	3538	2032	1616	2350	2189
2	हरियाणा	1483	49	49	412	387	6168	179	682	758	192	-
3	जम्मू और कश्मीर	2087	728	483	8	7	1329	381	157	-	35	-
4	उडीसा	18501	16583	8833	98	-	8926	469	687	-	131	-
5	राजस्थान	8707	1436	1093	203	163	384	195	146	9002	47	35
6	त्रिपुरा	8639	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	उत्तर प्रदेश	12313	9488	-	1241	1479	8848	647	589	360	1	-
8	पश्चिम बंगाल	12952	3214	3235	शून्य	शून्य	745	66	70	श्	39	16
9	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	123	615	615	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	147	-	-
10	दादरा और	78	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-

	नगर हवेली											
11	**दिल्ली**	7884	5406	6335	1028	503	478	1459	230	470	313	237
12	**लक्षद्वीप**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	**पांडिचेरी**	11895	740	740	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट ः शेष राज्यों/संघ शासित राज्यों से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सारणी 5.4

मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग समिति का गठन और तिमाही प्रगति रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति दर्शाती हुई राज्यवार विवरणी

(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तिमाही प्रगति रिपोर्ट	प्रतिष्ठानों की संख्या	जिन्होंने क्रियान्वित किया है			त्रिपक्षीय समिति गठित	कार्यान्वयन प्रकोष्ठ
				पूर्णतः	आंशिक	नहीं किया		
1.	आन् प्रदेश	05/05	37	8	29	-	19.10.02	-
2.	असम	09/04	91	6	2	83	3.4.02	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	09/05	6	-	-	6	26.4.04	-
4.	बिहार	09/05	7	6	-	1	19.6.02	-
5.	छत्तीसगढ़	9/03	4	1	-	3	25.3.03	-
6.	गोवा	09/05	7	6	1	-	25.9.2002	-
7.	गुजरात	09/05	19	16	-	3	29.1.03	-
8.	हरियाणा	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	12/03	22	-	16	6	17.4.04	-
10.	जम्मू व कश्मीर	12/03	62	-	62	-	-	-
11.	झारखंड	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	12/04	103	17	28	58	7.4.2003	-
13.	केरल	12/04	46	5	6	35	14.3.2001	-
14.	मध्य प्रदेश	09/04	126	35	10	81	-	-
15.	मणिपुर	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
16.	महाराष्ट्र	12/04	136	114	-	22	22.2.02	-
17.	मेघालय	लागू नहीं	-	-	-	-	@@	-
18.	मिजोरम	लागू नहीं	-	-	-	-	@	-
19.	नागालैंड	लागू नहीं	-	-	-	-	@@	-

20.	उड़ीसा	12/04	19	7	5	7	17.11.01	1
21.	पंजाब	12/04	10	7	-	3	-	-
22.	राजस्थान	3/03	*243	5	1	237	4.4.01	-
23.	सिक्किम	लागू नहीं	-	-	-	-	@	-
24.	तमिलनाडु	06/05	90	85	1	4	21.8.2003	-
25.	त्रिपुरा	09/04	18	-	-	18	हां	-
26.	उत्तर प्रदेश	03/04	260	67	1	192	20.9.01	-
27.	उत्तराचंल	09/05	+149	4	-	145	हां	-
28.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	24.4.2003	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	लागू नहीं	-	-	-	-	@@	
30.	चंडीगढ़	09/05	3	-	-	3	-	-
31.	दिल्ली	6/05	36	28	-	8	6.5.03	-
32.	दमन व दीव	लागू नहीं	-	-	-	-	@@	-
33.	दादरा व नगर हवेली	लागू नहीं	-	-	-	-	@	-
34.	लक्षद्वीप	लागू नहीं	-	-	-	-	@@	-
35.	पांडिचेरी	09/05	13	6	-	7	-	-
	कुल		1507	423	162	922		

*** 243 प्रतिष्ठानों में एक व्यक्ति कार्यरत है। + 149 प्रतिष्ठानों में एक व्यक्ति कार्यरत है।**

@ : इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिफारिशें लागू नहीं हैं क्योंकि समाचार पत्र प्रतिष्ठान अत्यंत छोटे हैं।

@@: इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं है।